भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 578

(दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

प्रेस महापंजीयक

578. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय 30 जून, 2025 तक प्रिंट मीडिया के सभी विवरण अद्यतन करने में विफल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में डेटा अद्यतनीकरण में परिवर्तन और आरएनआई-पीआरजीआई के साथ नियमितता के लिए शास्तियों हेतु हजारों आवेदन सरकार के पास लंबित हैं, जिसके कारण प्रकाशन वर्तमान वर्ष के लिए उचित वार्षिक विवरण दाखिल नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की देश के सभी रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तत्संबंधी दर्शकों की जानकारी के साथ एक ही डेटाबेस में पंजीकृत करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों को सरकारी पंजीकरण या उसके पैनल में शामिल करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (पीआरपी अधिनियम, 2023) और प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 (पीआरपी

नियम) दिनांक 1 मार्च 2024 से प्रभावी हुए। नए अधिनियम ने पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में सुधार किए हैं और उसे सुव्यवस्थित किया है।

प्रेस सेवा पोर्टल अब रजिस्ट्रीकरण संबंधी सभी मामलों के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। इसका उद्देश्य कुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पिछले अधिनियम के तहत 1.5 लाख से अधिक नियतकालिक पत्रिकाओं के भौतिक अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया गया है और उन्हें प्रेस सेवा पोर्टल पर एकीकृत कर दिया गया है।

किसी भी पत्रिका के विवरण का संशोधन और अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है।

पीआरपी अधिनियम ने विवरण प्रस्तुत न करने पर दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। परंतु वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत न करने या देरी से प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाता है। वर्तमान में, नए पीआरपी अधिनियम, 2023 के तहत नियमित प्रकाशन न करने पर या किसी अन्य मामले के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है।

वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिए लंबित दंड का भुगतान करना पूर्व-अपेक्षित नहीं है।

प्रकाशकों की सुविधा के लिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।

आईटी नियम, 2021 के नियम 18 के अनुसार समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बुनियादी जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।

*****